

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/16539

दिनांक:- 02/08/17

-: आदेश :-

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय व सफाई कर्मचारी संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	कहाँ से	कहाँ को
01	श्री सन्तोष कुमार मीणा	राजस्व निरीक्षक	सुजानगढ	लालसोट (दौसा)
02	श्री मनीष गौर	सहा. राजस्व निरीक्षक	अन्ता	चाकसू
03	सुश्री सन्तोष	कनिष्ठ लिपिक	नापासर	हनुमानगढ
04	श्री विष्णुदान	कनिष्ठ लिपिक	गजसिंहपुर	बीकानेर
05	सुश्री सीमा देवासी	कनिष्ठ लिपिक	बाली (पाली)	फालना (पाली)
06	श्री शुभकरण	कनिष्ठ लिपिक	सुजानगढ	छापर
07	श्री कुलवन्त धवन	कनिष्ठ लिपिक	राजगढ	अलवर
08	श्री हनुमान राम	कनिष्ठ लिपिक	जैसलमेर	बाडमेर
09	श्रीमती निर्मला सैनी	फायरमैन	बीकानेर	जयपुर
10	श्री दिनेश कुमार बैरवा	फायरमैन	उदयपुर	भीलवाडा
11	श्री सतपाल खींचड	फायरमैन	श्रीगंगानगर	चुरू
12	श्री विककी राठौड	फायरमैन	जैतारण	ब्यावर (अजमेर)
13	श्री राहुल गोदारा	फायरमैन	जैसलमेर	बालोतरा
14	श्री अजीत सिंह गुर्जर	फायरमैन	धौलपुर	गंगापुरसिटी
15	श्री सेराज खान	फायरमैन	लाखेरी (बून्दी)	सवाईमाधोपुर
16	श्री पूरणमल नाई	फायरमैन	धौलपुर	बहरोड
17	श्री सुरेन्द्र कुमार	फायरमैन	पदमपुर	राजगढ (चुरू)
18	श्री सुनील कुमार	च. श्रे. कर्मचारी	सुजानगढ	छापर
19	श्री विजय कुमार	च. श्रे. कर्मचारी	श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर

श्री हेमन्त कुमार मीणा का विभागीय आदेश क्रमांक 6908-7509 दिनांक 10.10.16 के द्वारा नगर परिषद्, बारां से नगर परिषद्, बूँदी किये गये स्थानान्तरण आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

5. कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक

दिनांक:- 02/08/17

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/16540-16627

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानिय निकाय विभाग, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर/जोधपुर।
4. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकाारी, जयपुर/उदयपुर/बीकानेर/भीलवाडा/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/हनुमानगढ/धौलपुर/सवाईमाधोपुर/गंगापुरसिटी/बाडमेर/चूरु/अलवर/सुजानगढ/ब्यावर/बालोतरा/बहरोड/चाकसू/लालसोट/अन्ता/नापासर/राजगढ(अलवर)/जैतारण/पदमपुर/राजगढ(चूरु)/लाखेरी/छापर/रायसिंहनगर/बाली/खुडाला फालना।
5. श्री.....पद.....नगर.....।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)
उपनिदेशक (प्रशासन)